



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-31.05.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 4000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0384/2022 धारा 380,411,34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त चिरंजू कुमार पुत्र बाबूलाल राम निवासी वीरू स्वर्णकार के मकान पर किराये का कमरा ग्राम अकथा थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29.05.2024 को माननीय न्यायालय JM-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त चिरंजू कुमार उपरोक्त को अंतर्गत धारा 380 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष के कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 411 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष के कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।